संख्या- 3/2021/57/37-3-2021-5(22)/2017

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति
उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय,
पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय,
एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

पशुधन अनुभाग-3 लखनऊ::दिनाक:: 18 जनवरी,2021

विषय:- उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा में कार्यरत कुलपति/शिक्षकों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान का पुनरीक्षण किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमानों को उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा में कार्यरत् कुलपति/शिक्षकों पर निम्निलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू करने का आदेश श्री राज्यपाल एतद्द्वारा प्रदान करते है:-

(1)- पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2016 से अनुमन्य होगा तथा इसका नकद भुगतान 01 अप्रैल, 2019 से किया जायेगा।

(2)- योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी द्वारा इस आशय की एक अण्डर टेकिंग दी जायेगी कि वेतन स्तर के पुनरीक्षण पर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण अथवा अनुचित वेतन स्तर और वेतन प्रकोष्ठ या अन्य अतिरिक्त भुगतान प्राप्त किये जाने की दशा में अग्रिम भुगतान अथवा भुगतान के अन्यथा अवसरों पर उस प्रकिया के अनुसार समायोजित किया जायेगा, जिसे वित्त मंत्रालय (**Department Of Expenditure**) भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-5/2016-आई०सी० दिनाक 29.07.2016 द्वारा निर्धारित किया गया है।

(3)- वेतन पुनरीक्षण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-1-7/2015-**U.II**(1) दिनांक 02.11.2017 यथा संशोधित पत्र संख्या-1-7/2015-7/2015-U.II(1) दिनांक 08.11.2017 के बिन्दु-2 में उल्लिखित पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जायेगा। वेतनमानों का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण उन्हीं मामलों में अनुमन्य होगा, जिनमें दिनांक 01.01.2016 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के देय वेतनमान पर रहे थे।

(4)- वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति के संबंध में 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियाँ भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-1-7/2015-**U.II**(1) दिनांक 02.11.2017 के बिन्दु-09 तथा 10 के अनुसार क्रमश: अनुमन्य होंगे।

(5)- उपर्युक्तानुसार वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमान का नकद भुगतान दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से किया जायेगा/से देय होगा। पुनरीक्षित वेतनमानों के एरियर का भुगतान दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

30.09.2020 के बाद अथवा इस संबंध में वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6)- दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 मार्च, 2019 तक के एरियर का भुगतान तब किया जायेगा, जब आई.सी.ए.आर (भारत सरकार) द्वारा उक्त अवधि के एरियर पर आने वाले व्यय-भार के 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त कर दी जाय।

(7)- प्रश्नगत वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप राज्य सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त व्यय-भार हेतु धनराशि की व्यवस्था अनुदान संख्या-11 के विभागीय बचतों से पुनर्विनियोग अथवा विभागीय बजट के माध्यम से की जायेगी।

(8)- उपर्युक्तानुसार वेतनमानों के पुनरीक्षण के अलावा अनुमन्य मंहगाई भत्ता व अन्य भत्तों आदि का पुनरीक्षण/संशोधन उसी प्रकार किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किया जाता है।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-986/दस-2021, दिनांक 13.01.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 3/2021/57**(1)/37-3-2021, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
3. महालेखाकार उ०प्र०, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
4. निदेशक, डी.ए.आर.ई. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
5. सचिव/उप निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन- II पूसा नई दिल्ली-110012
6. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
7. महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
8. निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त अधिकारी, उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
10- संबंधित कोषाधिकारी।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2, वित्त (सामान्य) अनुभाग-2/ वित्त (लेखा) अनुभाग-3।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(लुटावन राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in